अनुदान संख्या 13 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	30693,64,00		30693,65,00	26392,44,26	-4301,20,74
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4258,55,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			9719,72,00	9634,49,24	-85,22,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					79,33,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व विभाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	52547.00	66195.45	67686.28	+1490.83
पु.	R.	13648.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2071” पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head “2071” Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	1220958.00	1319027.00	1345066.01	+26039.01
पु.	R.	98069.00			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas				
मू.	O.	86402.00	..	..	..
पु.	R.	-86402.00			
मुख्य शीर्ष “3275” अन्य संचार सेवाएं	Major Head “3275” Other Communication Services				
मू.	O.	1709011.00	1258287.55	1226491.97	-31795.58
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-450724.45			

(I) ₹156503.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹155707.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(का) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “अन्य संचार सेवाएं – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाता को प्रतिपूर्ति – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाता को प्रतिपूर्ति” – ₹83672.00 लाख; और

(I) Provision of ₹156503.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹155707.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” -

(a) “Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation” - ₹83672.00 lakhs; and

(ख) "अन्य व्यय – टेलिमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹2730.00 लाख।

(b) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹2730.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" – "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹69305.00 लाख – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के जरिए कार्य संचालन शुरू न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(B) Major Head "3275" - "Special Component Plan for Scheduled Castes - Compensation to Service Providers" - ₹69305.00 lakhs - due to non-commencement of operation by Universal Service Obligation Fund and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उपदान – साधारण पेंशन" – ₹65741.22 लाख की बचत (₹291717.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of ₹65741.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291717.30 lakhs);

(खा) "छुट्टी नकदीकरण हितलाभ – साधारण पेंशन" – ₹1472.75 लाख की बचत (₹3539.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹1472.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3539.55 lakhs); and

(गा) "निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान – साधारण पेंशन" – ₹4529.16 लाख की बचत (₹5250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme - Ordinary Pensions" - saving of ₹4529.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5250.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims.

(III) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹360670.99 लाख की बचत (₹646118.00 लाख के प्रावधान की तुलना में)

(A) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" - saving of ₹360670.99 lakhs

हुई; और

(against the sanctioned provision of ₹646118.00 lakhs); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹28752.01 लाख की बचत (₹35905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - saving of ₹28752.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35905.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत नेट परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards Bharat Net Project and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹542400.00 लाख की बचत (₹835000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायिकी/वित्तीय सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹542400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹835000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards subsidy/financial support and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "अन्य व्यय" –

(D) "Other Expenditure" -

(क) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्द्धन" – ₹1719.85 लाख की बचत (₹2020.00 लाख के प्रावधान की तुलना मे) अन्य प्रशासनिक खर्चों तथा विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावे प्राप्त होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Technology Development and Investment Promotion" - saving of ₹1719.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2020.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims towards other administrative expenses and advertising and publicity.

(ख) "स्वच्छता कार्य योजना" – ₹593.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने की वजह से हुई।

(b) "Swachhta Action Plan" - saving of ₹593.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims.

(ग) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" – ₹3000.00 लाख (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

(c) "Telecom Regulatory Authority of India" - saving of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was

प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई

(घ) "प्रशिक्षण" – ₹746.39 लाख की बचत (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्यकालीन जीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संख्या में आयोजित किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "आईटीएस/बी डब्ल्यू एस अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1311.15 लाख की बचत (₹1616.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(च) "दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकी के नवोन्मेष तथा विकास संवर्धन के लिए चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम का प्रावधान" – ₹4992.17 लाख की बचत (₹5007.00 लाख के प्रावधान की तुलना में) दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकी हेतु नवोन्मेष और विकास संबंधी संवर्धन कार्य में कमी होने, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति तथा निर्माण कार्यकलाप को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण कार्य की शुरुआत देरी से होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹292.89 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹552770.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Training" - saving of ₹746.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to conduction of less Mid Career Training programmes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Training to ITS/BWS Officers" - saving of ₹1311.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1616.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to conduction of less training programmes.

(f) "Provision for Champion Service Sector Scheme for Promotion of Innovation and incubation of Future Technology of Telecom Sector" - saving of ₹4992.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5007.00 lakhs) was due to less promotion of Innovation and incubation of Future Technology of Telecom Sector, late commencement of work owing to delay in finalization of engineering, procurement and construction activity and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one head saving of ₹292.89 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹552770.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "3275" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान" – ₹52770.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹29509.44 लाख था।

(खा) "बीएसएनएल तथा एमटीएनएल कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान" – ₹499999.50 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सम्बद्ध कार्यालय" –

(क) "निदेशालय" – ₹1824.68 लाख का अधिक व्यय (₹14198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ख) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी प्रकोष्ठ" – ₹7025.72 लाख का अधिक व्यय (₹14555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय" – ₹6340.49 लाख का अधिक व्यय (₹15013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतनों तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" –

(क) "अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन" – ₹175360.00 लाख का अधिक व्यय (₹650203.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹1206.90 लाख का अधिक व्यय (₹105598.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Incremental Pension Payment to voluntarily retiring BSNL and MTNL employees" - ₹52770.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹29509.44 lakhs.

(B) "Ex-gratia Payment to BSNL and MTNL employees" - ₹499999.50 lakhs.

(II) Saving were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices" -

(a) "Directorate" - excess of ₹1824.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14198.00 lakhs);

(b) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - excess of ₹7025.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14555.00 lakhs); and

(c) "Controller of Communication Accounts Offices" - excess of ₹6340.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15013.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards salaries and other establishment related expenses.

(B) Major Head "2071" - "Civil" -

(a) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of ₹175360.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650203.20 lakhs);

(b) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - excess of ₹1206.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105598.50 lakhs); and

(ग) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹19340.45 लाख का अधिक व्यय (₹164577.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(c) "Family Pensions - Family Pensions" - excess of ₹19340.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹164577.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to receipt of more claims.

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" – "अन्य व्यय – टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹2730.00 लाख का अधिक व्यय (₹21129.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3275" - "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - excess of ₹2730.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21129.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹388.76 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹388.76 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	48000.00	..	..	..
पु.	R.	-48000.00			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	913472.00	953539.00	952949.24	-589.76
पु.	R.	40067.00			

(I) ₹114038.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹113933.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹114038.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹113933.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹48000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on Other Communication Services - Other Expenditure - OFC based network for Defense Services" - ₹48000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹41456.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹21477.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षो के अंतर्गत प्रावधान स्कीम का संचालन न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "5275" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - OFC based network for Defence Services" - ₹41456.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - OFC based network for Defence Services" - ₹21477.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-operationalization of the scheme.

(ग) "अन्य व्यय" –

(i) "दूरसंचार कंप्यूटर अपातकाल प्रत्युत्तर दल" – ₹1500.00 लाख; और

(ii) "केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टार (सीईआईआर)" – ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(c) "Other Expenditure" -

(i) "Telecom Computer Emergency Response Team" - ₹1500.00 lakhs; and

(ii) "Central Equipment Identity Register (CEIR)" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalization of tender and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य संचार सुविधाएं" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹1121.55 लाख की बचत (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल विंग द्वारा कार्यालय भवन को पूरा करने में विलंब होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "मॉनीटरी सेवाएं" – ₹906.25 लाख की बचत (₹917.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मॉनीटरी सेवा के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती के जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "वायरलैस सैट और उपकरण" – ₹1952.73 लाख की बचत (₹2011.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने और कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने के कारण मशीनरी और उपकरणों की कम संख्या में अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹962.00 लाख की बचत (₹5020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल विंग द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के लिए कार्यालय भवन को पूरा करने में विलंब होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(I) "रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹106933.00 लाख का अधिक व्यय (₹834067.00 लाख के

(A) "Other Communication Facilities" -

(a) "Office Building" - saving of ₹1121.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to delay in completion of office building by civil wing and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Monitoring Services" - saving of ₹906.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹917.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments for monitoring service and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Wireless Sets and Equipments" - saving of ₹1952.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2011.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and procurement of less machinery and equipments owing to Corona epidemic lockdown.

(b) "Training Institute for Communications Finance" - saving of ₹962.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5020.00 lakhs) was due to delay in completion of office building for training institute by civil wing and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5275" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(I) "OFC based network for Defence Services" - excess of ₹106933.00 lakhs (against the sanctioned

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अ.जा./अ.ज.जा. उप–योजनाओं को आबंटन करने से छूट मिलने की वजह से अनुसूचित जाति उप–योजना और अनुसूचित जनजाति उप–योजना से निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

provision of ₹834067.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and transfer of funds from Scheduled Caste sub plan and Scheduled Tribe sub plan owing to getting exemption for making allocation to SC/ST sub plans.

(II) "स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड" – ₹3525.25 लाख का अधिक व्यय (₹3859.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) "Indigenous 5G Test Bed" - excess of ₹3525.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3859.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of machinery and equipments.

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि :–

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्य योग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January, 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

वर्ष 2019–20 की निधि का लेखा इस प्रकार था :–

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	62,08,19
प्राप्तियां	Receipts	67,50,24
भुगतान	Payments	90,00,00
अंतशेष	Closing Balance	39,58,43

6. *विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि :–*

नई दूरसंचार नीति 99 (एनटीपी–99) में सभी को सामर्थ्य योग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जो कि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाईसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवादायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2019–20 की निधि का लेखा इस प्रकार था :–

6. *Universal Service Obligation Fund:-*

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	2926,00,00
भुगतान	Payments	2926,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL